इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 201 / प्र0अ0–भवन / जोन–1 / 2013–14 दिनांक 24 / 09 / 2014

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर उपविभाजन / पंक्तिबद्ध आवास (Row Housing) मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री गौतम चटर्जी मुख्तारेआम श्रीमती अनीता चौधरी पुत्री श्री कमलापति चौधरी द्वारा पार्ट आफ **आराजी संख्या–226, 217, 218** मौजा–हरवारा परगना एवं तहसील–सदर, जिला इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अर्न्तगत दाखिल प्रस्तावित उपविभाजन / पंक्तिबद्ध आवास टाईप डिजाईन मानचित्र की स्वीकृति / निर्गमन उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 19.09.2014 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग / अधिभोग किया जायेगा. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट / इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. प्रत्येक इकाई पर 01 वृक्ष लगाना होगा तथा तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. पार्क एरिया (555.62 वर्गमीटर) को पूर्णतया हरा–भरा रखने का दायित्व भू–स्वामी / निर्माणकर्ता का होगा।
6. प्रासंगिक मानचित्र 23 आवासीय इकाईयों के निर्माण की अनुमति हेतु है। निर्मित इकाईयो में तल–वार विक्रय अथवा इकाईयो का उपविभाजन पूर्णतया निषिद्व होगा।
7. **नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद** की N.O.C पत्रांक : डी0 / 552 / STCE/14 दिनांक 16.08.2014 **(छायाप्रति संलग्न)** मे अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
8. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
9. स्थल पर समस्त अन्तरिक विकास कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही आन्तरिक विकास व्यय के सापेक्ष जमा बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी।
10. माननीय न्यायालय मे कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू–स्वामित्व का अधिकार प्रदान नही करती है। भू–स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय / प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।

Continued